



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2024/अका./2005

रायपुर, दिनांक : 11/8/2005

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की नवी बैठक दिनांक 05.03.2005 के भाग-ख 'अध्यादेश' के निर्णय क्रमांक (2) में अध्यादेश क्रमांक 45 (डाक्टर ऑफ फिलासाफी) की कंडिका-1 में निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया :-

- (i) A candidate for the degree of Doctor of Philosophy must, at the time of application, hold Master's degree with atleast 55% marks (50% marks for SC/ST/HANDICAPPED CANDIDATE) or an equivalent grade of M.Phil. degree of the University, a deemed University or any other University incorporated by any law for the time being inforce and recognised by the University.

Provided that a candidate who has atleast 7 years experience of research/teaching with atleast 5 papers published in standard research journal, ~~may~~ be permitted to get registered for Ph.D. degree, even if he does not posses 55% marks at masters degree.

- (ii) अध्यादेश क्रमांक 45 (डॉक्टर ऑफ फिलासाफी) की कंडिका-1 में निम्नानुसार, द्वितीय परन्तुक जोड़े जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया -

Provided further that in the examinations under the faculty of Ayurveda & Medicin~~e~~, where no divisions are awarded to the successful examinees. The minimum requirement of obtaining 55% of marks shall not apply.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना प्रसारण की तिथि से प्रभावशील होगा। तदनुसार अध्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जावे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2025/अका./2005

रायपुर, दिनांक : 11/8/2005

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च.शिक्षा संचालनालय, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विश्वविद्यालय।
3. प्राचार्य/ समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय में मान्यता प्राप्त शोध केन्द्रों को।
4. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गोपनीय विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ()